**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 122**
**02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**असम में एम्बुलेंस सेवाएं**

**122. श्रीमती क्वीन ओझा:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास गुवाहाटी में गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए चलाई जा रही आईसीयू सेवाओं से सुसज्जित एम्बुलेन्स सुविधाओं के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला -वार ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक रोगी के लिए आईसीयू एम्बुलेंस और सामान्य एम्बुलेंस सेवा को सरल सुलभ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या गुवाहाटी के कुछ गांवों में एम्बुलेंस सेवाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और
(घ) यदि हां, तो दूरस्थ क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)**

(क): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाहियों के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस जिसे क्रिटिकल केयर एमुबुलेंस कहा जाता है, में चौबीसों घंटे एक आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन (ईएमटी) के साथ वेंटिलेटरी सपोर्ट सहित आवश्यक और आपातकालीन उपकरण हैं। असम राज्य में कुल 14 एएलएस तैनात हैं। एएलएस एम्बुलेंस का जिला-वार वितरण निम्नानुसार है:

| क्र.सं. | जिले | एएलएस एम्बुलेंस संख्या |
|---|---|---|
| 1 | बारपेटा | 02 |
| 2 | कछार | 01 |
| 3 | डिब्रूगढ़ | 02 |
| 4 | गोलपारा | 01 |
| 5 | जोरहाट | 01 |
| 6 | कामरूप (मेट्रो) | 04 |
| 7 | नलबाड़ी | 01 |
| 8 | सोनितपुर | 02 |
| **कुल** | | **14** |

(ख): असम राज्य में, एनएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं कार्य कर रही हैं। एम्बुलेंस सेवाओं की आवश्यकता वाले गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए सेवाएं प्रदान करने के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (बीएलएस), एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (एएलएस) और बोट एम्बुलेंस के रूप में एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध हैं। इन एम्बुलेंस को चौबीस घंटे के आधार पर तैनात किया जाता है और ये एम्बुलेंस राज्य में आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि आपातकालीन चिकित्सा परिचर्या की जरूरत वाले व्यक्ति की परिहार्य रुग्णता और मृत्यु दर को रोकने के लिए गोल्डन ऑवर के भीतर निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केंद्र तक पहुंचने में सक्षम हों। आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र से जुड़े '108' टोल फ्री आपातकालीन नंबर पर डायल करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।

(ग) और (घ): गुवाहाटी, कामरूप मेट्रो जिले का हिस्सा होने नाते, यहां एनएचएम के माध्यम से लगभग 4 (चार) ए एल एस और 27 (सत्ताईस) बीएलएस एम्बुलेंस हैं, जो मौजूदा जनसंख्या मानकों से अधिक है। इसके अतिरिक्त, असम राज्य के लिए 7 (सात) बोट एम्बुलेंसों के माध्यम से आपातकालीन सेवाओं की जरूरत वाले रोगियों के लिए चौबीसों घंटे का परिवहन सुनिश्चित करने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष एम्बुलेंसों की भी तैनाती की गई है। राज्य भर में कुल 800 एम्बुलेंस (779 बीएलएस, 14 एएलएस और 7 बोट एम्बुलेंस) तैनात हैं।

*****